Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ एसीबी की प्रभावी कार्रवाई, फर्जी मेडिकल पेंशनर्स डायरी प्रकरण में फरार स्थाई वारंटी आरोपी जयप्रकाश उर्फ जे.पी. गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 28 जुलाई, 2026। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), राजस्थान द्वारा फरार एवं स्थाई वारंटी आरोपियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.07.2026 को **फर्जी मेडिकल पेंशनर्स डायरी प्रकरण** में फरार चल रहे स्थाई वारंटी आरोपी **जयप्रकाश उर्फ जे.पी. पुत्र श्री उदयचन्द शर्मा, जिला अलवर** को गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण के संबंध में एसीबी के **महानिदेशक पुलिस, श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि अनुसंधान के दौरान यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुआ कि आरोपी उदयचन्द शर्मा एवं उसके पुत्र जयप्रकाश उर्फ जे.पी. द्वारा खेड़ली स्थित मोहन ऑफसेट प्रिन्टर्स, खेड़ली से फर्जी मेडिकल पेंशनर्स डायरियां छपवाई जाकर अपने भाई भूपेन्द्र शर्मा के साथ आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होकर राज्य सरकार को अनुचित आर्थिक हानि पहुंचाई गई तथा स्वयं द्वारा आर्थिक एवं अन्य अनुचित लाभ प्राप्त किया गया।

गिरफ्तार आरोपी जयप्रकाश उर्फ जे.पी. फर्जी मेडिकल पेंशनर्स डायरियों से संबंधित प्रकरण के सरगना भूपेन्द्र शर्मा का भाई तथा प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके आरोपी उदयचन्द शर्मा का पुत्र है।

अनुसंधान में आरोपी जयप्रकाश उर्फ जे.पी. का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(सी), 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 477–ए, 409 एवं 120–बी के अंतर्गत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

एसीबी द्वारा आरोपी को आज दिनांक 28.07.2026 को खेड़ली (जिला अलवर) से गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) क्रम–3, जयपुर महानगर द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट की अनुपालना में आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

यह कार्रवाई एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव, उप महानिरीक्षक पुलिस –प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह** एवं **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रशान्त कौशिक** के सुपरविजन में **पुलिस निरीक्षक श्रीमती अर्चना मीणा** द्वारा सफलतापूर्वक संपादित की गई।

गिरफ्तार आरोपी को अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।